प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

दिनांक 15 जुलाई, 2024

पत्र संख्याः— 538 / 13—सी.आर.ए. / 2024

विषयः— मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No. 156/2024 Manoj Singh Negi Vs. Ministry of Environment Forest and Climate Change & Others में पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No. 156/2024 Manoj Singh Negi Vs. Ministry of Environment Forest and Climate Change & Others में पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार हैः—

1. In this Original Application the applicant had raised the issue of forest fire in Chirpine Forest surrounding the petitioner's village Churani located in Naina Range of Nainital Forest Division, Uttarakhand. The Tribunal on 16.02.2024 had issued notice to the respondents in the OA and affidavit of service has been filed by the applicant.
2. Learned Counsel appearing for respondent no.1, MoEF&CC submits that certain information has been sought from respondent no. 2 which is awaited and on receipt of the same, the reply on behalf of respondent no 1 will be filed within three weeks.
3. The applicant, present in person, has submitted that the Forest authorities in the area are pressurizing him and are threatening that he will be involved in some false wildlife case if he continues with this OA Inspite of service of notice, respondent nos. 2 to 4 are not present. Therefore, they are directed to remain virtually present on the next date of hearing. It will also be open to the said respondents to file their response at least one week before the next date of hearing.

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी श्री मनोज नेगी द्वारा मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण में निम्नानुसार प्रार्थना की गयी हैः—

01-Order the authorities to determine the damage that happened to the properties, agricultural fields, plantations, polyhouse of the villagers, their exposure to smoke due to the said forest fire and Smoke pollution and compensate the

villagers for the same or restitute their properties under section 15 of the NGT act 2010

02- Order the authorities to determine the damage that happened to the forest,deposit the fund for the said damage to the Government.

03-Determine an action plan to restore the damaged forest and restore the same in the time bound manner.

04-Plan the infrastructure establishment such as construction and maintenance of firelines surrounding the village, water storage, communication,maintenance of the kutcha road of village which got damaged in floods of October 2021 for fast access/exit for the fire fighters/villagers, obstruction free escape routes for victims and very old people after consultation with the residents of Churani in accordance with "National action plan for prevention of forest fires" issued by MoEF&CC and "Disaster management act 2005" and executing the same in a time bound manner to prevent future fire incidents as the fire season is on.

मा. अधिकरण द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक 19.07.2024 नियत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी जवाब दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में प्रकरण में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:–

01. मा. अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.03.2024 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल एवं उपजिलाधिकारी, कोश्याकुटौली को आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, कोश्यां कुटौली द्वारा अपने पत्र संख्या 201/न.न./2023–24 दिनांक 21.03.2024 **(संलग्न–1)** द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि प्रकरण में कार्यवाही वन विभाग के स्तर से अपेक्षित है। उपजिलाधिकारी कोश्यां कुटौली की उक्त आख्या के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 326/13–सी.आर.ए./2023–24 दिनांक 05.04.2024 **(संलग्न–2)** द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को मा. अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 156/2024 मनोज सिंह नेगी बनाम् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य मे अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

02. मा. अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 के क्रम में सादर अवगत कराना है वर्ष 2024 में वनों की अग्नि से रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीति पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक 12.02.2024 को जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति, जनपद नैनीताल की बैठक **(कार्यवृत्त की प्रति संलग्न–3)** आहूत करते हुए जनपद अन्तर्गत विभिन्न विभागों यथा पंचायती राज, अग्निशमन, पुलिस, वन, लोक निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर निकाय, शिक्षा, राजस्व, ग्राम्य विकास, आपदा एवं जल संस्थान को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये।

03. वित्तीय वर्ष में जनपद अन्तर्गत तहसील स्तर से वाहन अधिग्रहण **(संलग्न–4)** कर सम्बन्धित वन प्रभागों को उपलब्ध करवाते हुए आदेश संख्या 1086/13–सी.आर.ए. (आ.प्र.प्राधि.)/2024–25 दिनांक 29 अप्रैल, 2024 **(संलग्न–5)** द्वारा न्याय पंचायतवार QRT का गठन करते हुए उक्त QRT से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्याा 369/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 06 मई, 2024 **(संलग्न–6)** द्वारा श्री नवीन चन्द्र, मास्टर ट्रेनर, खोज एवं बचाव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

04. नोडल अधिकारी श्री नवीन चन्द्र, मास्टर ट्रेनर, खोज एवं बचाव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा QRT को प्रदान किये गये सूक्ष्म प्रशिक्षण का विवरण **(संलग्न–7)** निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

क्रम सं.	प्रशिक्षण की तिथि	न्याय/ग्राम पंचायत का नाम	पारित प्रस्ताव का विवरण
01	30.04.2024	ग्राम पंचायत बोहराकोट, विकास खण्ड रामगढ़	• खुले में कूड़ा जलाये जाने पर प्रतिबन्ध। • कूड़े का उचित निस्तारण। • खुले में कूड़ा जलाता हुआ पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम/पंचायती राज अधिनियम/आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही। • खेतों में खरपतवार इत्यादि को जलाकर न छोड़ा जाए। • जनजागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार। • जानबूझकर आग लगाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही। • वनाग्नि को बुझाने हेतु ग्रामीणों की अनिवार्य भागीदारी।
02	02.05.2024	ग्राम पंचायत नैकाना, विकास खण्ड रामगढ़	
03	02.05.2024	ग्राम पंचायत घोड़ाखाल, विकास खण्ड रामगढ़	
04	07.05.2024	न्याय पंचायत चिल्किया, विकास खण्ड रामगढ़	
05	07.05.2024	न्याय पंचायत छोई, विकास खण्ड रामगढ़	
06	08.05.2024	न्याय पंचायत गिनतीगांव, विकास खण्ड रामगढ़	
07	09.05.2024	न्याय पंचायत सांगुड़ीगांव, विकास खण्ड भीमताल	
08	14.05.2024	न्याय पंचायत अमगढ़ी, विकास खण्ड कोटाबाग	
09	25.05.2024	न्याय पंचायत अल्चौना, विकास खण्ड भीमताल।	

05. वनाग्नि काल के दौरान जनपद मुख्यालय में स्थापित जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा समस्त क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से वनाग्नि की घटनाओं की सूचना प्राप्त कर वन विभाग वनाग्नि नियंत्रण कक्ष स्थित चायना पीक को वायरलेस के माध्यम से अवगत कराया गया तथा केन्द्र द्वारा वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग के कार्मिकों के साथ–साथ ग्राम प्रधानों से भी सम्पर्क रखते हुए वनाग्नि की सूचनाएं प्राप्त की गई। दिनांक 04 अप्रैल, 2024 से दिनांक 24.06.2024 तक केन्द्र में 365 वनाग्नि सम्बन्धी घटनाओं की सूचनाओं को लॉग किया गया है।

06. वनाग्नि की घटनाओं में SDRF की टीमों को राहत व बचाव कार्यों हेतु सक्रिय रखा गया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक वनाग्नि की घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिये वन प्रभाग नैनीताल को दिनांक 28.04.2024 को 41 NDRF सदस्यों की राहत व बचाव टीम उपलब्ध कराई गई जिसके द्वारा महेशखान एवं आस–पास के जंगलों में लगी वनाग्नि के नियंत्रण हेतु योगदान दिया गया।

07. आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं समस्त वन प्रभागों को ई–मल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। वनाग्नि नियंत्रण हेतु ग्राम स्तर पर गठित महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल का विवरण समस्त वन प्रभाग को उपलब्ध कराया गया हैं तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नैनीताल के माध्यम से पंजीकृत स्वयं सहायता समूह की Active महिलाओं का विवरण भी उपलब्ध कराया गया।

08. दिनांक 26.04.2024 को वनाग्नि नियंत्रण हेतु बैठक **(कार्यवृत्त की प्रति संलग्न–8)** आहूत करते हुए वनाग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अतिरिक्त Man Power की आवश्यकता के दृष्टिगत अत्यधिक प्रभावित वन प्रभागों यथा नैनीताल वन प्रभाग, हल्द्वानी

वन प्रभाग एवं रामनगर वन प्रभाग को 50–50 पी.आर.डी. कार्मिक 01 माह हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला युवा कल्याण अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया गया तथा समस्त वन प्रभागों को वनाग्नि रोकथाम हेतु अपील, राजकीय वाहनों में जागरूकता संदेशों के फ्लैक्स एवं वॉयस संदेशों के नियमित प्रसारण तथा नियमित दैनिक समाचार–पत्रों में अपील के साथ–साथ शरारती तत्वों पर की जा रही वैधानिक कार्यवाही भी प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त वनाग्नि की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के विभिन्न वन प्रभागों को कार्यालय आदेश संख्या 344/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 **(संलग्न–9)** द्वारा वर्तमान वनाग्नि सत्र एवं आदेश संख्या 496/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 01 जुलाई, 2024, 496–1/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 10 जुलाई, 2024 **(संलग्न–10)** द्वारा आगामी वनाग्नि सत्र हेतु निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गई है:–

वर्तमान वनाग्नि सत्र हेतु प्रभागवार आवंटित धनराशि का विवरण		
क्रम सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	3.50
02	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	4.50
03	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	2.00
04	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
05	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
06	उप निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।	0.90
07	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	21.00
योग		**36.40**

आगामी वनाग्नि सत्र हेतु प्रभागवार आवंटित धनराशि का विवरण		
क्रम सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
02	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
03	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	4.00
04	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
05	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
06	उप निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।	5.00
07	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	5.00
योग		**34.00**

अतः उक्तानुसार जिला प्रशासन के स्तर से वनाग्नि की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में आख्या मा. अधिकरण के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(वन्दना)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय ... , नैनीताल
संख्या 1734 दिनांक 27/03/24

ADM/OC/CRA

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
कोश्यॉ कुटौली।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्र संख्या– 201 /न०न० /2023–24 दिनांक– 21 –03–2024

विषय– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या156/224 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16–03–24 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–233/13–सी०आर०ए०/2023–24 दिनांक–26–02–2024 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या–269/13–सी०आर०ए०/2023–24 दिनांक–14–03–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/224 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16–03–24 में मा० अधिकरण द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक–08–04–2024 नियत करते हुए नियत तिथि से पूर्व शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु संलग्न प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में तहसीलदार कोश्यॉ कुटौली से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार कोश्यॉ कुटौली द्वारा रा०नि०/रा०उ०नि० की जांच आख्या को अग्रसारित करते हुए अवगत कराते हुए निम्नानुसार प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है:–

प्रस्तर संख्या–1–सही है, आवेदक/याचिकाकर्ता श्री मनोज सिंह नेगी की ग्राम बुधलाकोट के चुरानी तोक भूमिधरी भूमि स्थित और निवासरत है।

प्रस्तर संख्या–2– वन विभाग से सम्बन्धित होने से इस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या–3– इस प्रस्तर में लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता द्वारा तहसील/रा०उ०नि० स्तर पर कोई भी लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गयी है, यह बिन्दु भी वनाग्नि से हुए नुकसान से सम्बन्धित है।

प्रस्तर संख्या–4– वन विभाग से सम्बन्धित होने से इस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या–5– वन विभाग से सम्बन्धित है। इस प्रकार की कोई भी सूचना तहसील/राजस्व उप निरीक्षक स्तर पर प्राप्त नहीं है।

प्रस्तर संख्या–6– याचिकाकर्ता द्वारा जिस कच्चा मार्ग का उल्लेख किया गया है वह भी वन भूमि अन्तर्गत आने से इस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या–7– इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता या अन्य ग्रामीणों द्वारा कोई भी सूचना लिखित या मौखिक रूप से तहसील/राजस्व उप निरीक्षक स्तर पर नहीं दी गयी है।

प्रस्तर संख्या–8– इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता या अन्य ग्रामीणों द्वारा कोई भी सूचना लिखित या मौखिक रूप से तहसील/राजस्व उप निरीक्षक स्तर पर नहीं दी गयी है। प्रस्तर मे दिये गये तथ्य वन विभाग से सम्बन्धित होने से इस स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या–9– वन विभाग से सम्बन्धित होने से इस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या–10– कोई टिप्पणी नहीं।

अतः तहसीलदार कोश्यॉ कुटौली द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विपिन चन्द्र पंत)
उप जिलाधिकारी,
कोश्यॉ कुटौली।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
कोश्यॉं कुटौली।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्र संख्या– 202 /न०न० /2023–24 दिनांक– 21–03–2024

विषय– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/224 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16–03–24 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–233/13–सी०आर०ए०/2023–24 दिनांक–26–02–2024 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या–269/13–सी०आर०ए०/2023–24 दिनांक–14–03–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/224 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16–03–24 में मा० अधिकरण द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक–08–04–2024 नियत करते हुए नियत तिथि से पूर्व शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु संलग्न प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में तहसीलदार बेतालघाट से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बेतालघाट द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रकरण तहसील बेतालघाट से सम्बन्धित न होने से वांछित सूचना शून्य है।

अतः तहसीलदार बेतालघाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विपिन चन्द्र पंत)
उप जिलाधिकारी,
कोश्यॉं कुटौली।

कार्यालय तहसीलदार बेतालघाट।

पत्र सं0 30/ना.ना./2023-24 दिनांक: 19 मार्च, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/2024 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनाक 16/02/2024 के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 269/13–सी0 आर0 ए0/2023–2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण , नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/2024 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16/02/2024 के कम में अवगत कराना है कि उपरोक्त मामला तहसील बेतालघाट से सम्बन्धित नहीं है। सूचना शून्य है।

अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : यथोपरि।

तहसीलदार,
बेतालघाट।

रिपोर्ट राजस्व उप निरीक्षक पाडली

सेवा मे,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील कोश्याकुटौली
नैनीताल

विषय - मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/2024 मनोज सिंह नेगी बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.25 के सम्बन्ध मे चाही गयी प्रस्तरवार आख्या,

महोदय, उक्त विषयक संलग्न पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जो आवेदक मनोज सिंह नेगी द्वारा ग्राम कुल्लाकोट के तोक चुराणी मे उनके नाम दर्ज भूमि तथा उसके आस-पास स्थित वन भूमि के सम्बन्ध मे है, प्रकरण मे प्रस्तरवार आख्या निम्नवत है,

1. प्रस्तर संख्या 1 सही है, आवेदक/याचिकाकर्ता श्री मनोज सिंह नेगी की ग्राम कुल्लाकोट के चुराणी तोक मे भूमिधरी भूमि स्थित है, तथा निवासरत है,
2. प्रस्तर संख्या 2 वन विभाग से सम्बन्धित है,
3. प्रस्तर संख्या 3 मे लिखित तथ्यो के सम्बन्ध मे याचिकाकर्ता द्वारा तहसील/राजस्व उप निरीक्षक स्तर पर कोई भी लिखित या मौखिक सूचना नही की गयी है उक्त प्रकरण भी वनाग्नी से हुए नुकसान से सम्बन्धित है।

R.No (143)
महोदय,
रा०उ०नि० पाडली
की प्रस्तरवार
आख्या सेवा मे
सादर प्रेषित है,
18/02/2024
रा० नि०
(क्रू.31)

4. प्रस्तर संख्या 4 वन विभाग से सम्बन्धित है।
5. प्रस्तर संख्या 5 वन विभाग से सम्बन्धित है, इस प्रकार की कोई भी सूचना तहसील/राजस्व उप निरीक्षक स्तर पर प्राप्त नही है।
6. प्रस्तर संख्या 6 मे जिस कच्चा मार्ग का उल्लेख किया गया है, वह वन भूमि अन्तर्गत है तथा वन विभाग से सम्बन्धित है।
7. प्रस्तर संख्या 7 मे लिखित तथ्यो के सम्बन्ध मे याचिकाकर्ता या अन्य ग्रामीणो द्वारा कोई भी ~~सूचेत~~ सूचना लिखित या मौखिक तहसील / रा०उ०नि० स्तर पर नही की गयी है।
8. प्रस्तर संख्या 8 मे लिखित तथ्यो के सम्बन्ध मे याचिकाकर्ता या अन्य ग्रामीणो द्वारा कोई भी सूचना लिखित या मौखिक तहसील / रा०उ०नि० स्तर पर नही की गयी है, प्रस्तर मे दिये गये तथ्य वन विभाग से सम्बन्धित है,
9. प्रस्तर संख्या 9 वन विभाग की कार्ययोजना से सम्बन्धित है।
10. प्रस्तर संख्या 10 के सम्बन्ध मे कोई टिप्पणी नही है।

(मो० शकील)

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 326 / 13–सी.आर.ए./ 2023–24 दिनांक 05 अप्रैल, 2024

सेवा में,

Most Urgent Reminder

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

विषय– मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/2024 मनोज सिंह नेगी बनाम् पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 156/2024 मनोज सिंह नेगी बनाम् पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार है:–

3. The petitioner has placed on record order of the Tribunal dated 29.04.2022 passed in OA No. 301/2022 which was registered suo motu on the basis of the news item concerning the forest fire which took place in Champavat Division in Uttarakhand, adversely affecting environment and bio-diversity and life of inhabitants and animals, which was disposed of by issuing direction to the Secretary, Forest, Uttarakhand to look into the incident of fires mentioned in the media report and take appropriate action for rehabilitation of the affected persons and restoration of affected area, as per the prevailing schemes, utilizing the CAMPA Funds, available with the State. The grievance is that even that said order has not been complied with.

4. The OA raises substantial issue relating to compliance of the provisions of Scheduled enactments and also the compliance of environmental norms.

प्रार्थी श्री मनोज नेगी द्वारा मा. अधिकरण में निम्नानुसार प्रार्थना की गई है:–

1-Order the authorities to determine the damage that happened to the properties, agricultural fields, plantations, polyhouse of the villagers, their exposure to smoke due to the said forest fire and Smoke pollution and compensate the villagers for the same or restitute their properties under section 15 of the NGT act 2010

2- Order the authorities to determine the damage that happened to the forest,deposit the fund for the said damage to the Government.

3- Determine an action plan to restore the damaged forest and restore the same in the time bound manner.

4- Plan the infrastructure establishment such as construction and maintenance of firelines surrounding the village, water storage, communication,maintenance of the

kutcha road of village which got damaged in floods of October 2021 for fast access/exit for the fire fighters/villagers, obstruction free escape routes for victims and very old people after consultation with the residents of Churani in accordance with "National action plan for prevention of forest fires" issued by MoEF&CC and "Disaster management act 2005" and executing the same in a time bound manner to prevent future fire incidents as the fire season is on.

मा. अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या 233/13–सी.आर.ए./2023–24 दिनांक 26 फरवरी, 2024, 269/13–सी.आर.ए./2023–24 दिनांक 14 मार्च 2024, 295/13–सी.आर.ए./2023–24 दिनांक 21 मार्च, 2024 एवं 311/13–सी.आर.ए./2023–24 दिनांक 28 मार्च 2024 द्वारा आपको एवं उपजिलाधिकारी कोश्यां कुटौली को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी कोश्यां कुटौली द्वारा पत्र संख्या 201/न0न0/2023–24 दिनांक 21.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि प्रकरण में कार्यवाही वन विभाग से अपेक्षित है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्रों पर आप द्वारा किसी प्रकार की आख्या का प्रेषण न करने से मा. अधिकरण में आख्या प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब हुआ है।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदया की ओर से मा. अधिकरण में प्रत्युत्तर दाखिल किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा आपको अधिकृत किया गया है। अतः यदि प्रकरण में जिलाधिकारी महोदया की ओर से भी मा. अधिकरण में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना हो तो जिलाधिकारी महोदया की ओर से भी मा. अधिकरण में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रा0 NGT में डि0 8/4/24 नियत है।

भवदीय,

(फिंचाराम चौहान) 8/4/24

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)

नैनीताल।

जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति, जनपद नैनीताल की दिनांक—12—02—2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक— 12—02—2024 को जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में जनपद नैनीताल के वनों की अग्नि से रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीति पर विचार—विमर्श करने हेतु जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा बैठक में उपस्थित
समस्त अधिकारियों का जिलाधिकारी की ओर से स्वागत किया गया तथा बैठक प्रारम्भ करने हेतु अध्यक्ष
महोदय से अनुमति ली गयी। तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग द्वारा वन अग्नि एवं
वन अग्नि से होने वाली क्षति के बारे में बताया गया इसके उपरान्त बैठक का ऐजेन्डा उपस्थित समस्त
अधिकारियों को वितरित किया गया। बैठक के ऐजेन्डे में दिये गये बिन्दुओं पर विचार— विमर्श किया
गया विचार—विमर्श के उपरान्त जनपद स्तरीय अग्नि प्रबन्ध योजना—2024 का अनुमोदन करते हुए,
जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये—

- **Incident Response Teams** का गठन किया जाना है। इस हेतु जनपद नैनीताल में
प्रभागवार विद्यमान वन प्रभागों के अन्तर्गत रैंजवार टीमों का गठन किया जायेगा। उक्त टीमें
वनाग्निकाल में अपने—अपने क्षेत्रों अन्तर्गत वन विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए वनाग्नि
पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगीं। टीमों के गठन सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।
- **ब्लाक/पंचायत स्तरीय बैठकों का आयोजन**— शासनादेश संख्या— 454/ 1(2)
व0ग्रा0वि0/2004—9(22)/2001, दिनांक 27—3—2004 के क्रम में वनाग्नि की रोकथाम के लिए रोकथाम
के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने तथा उसका क्रियान्वयन व अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रदेश में
जनपद, विकास खण्ड एवं वन पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र संख्या— 746/13—सी0आर0ए0(आ0प्र0प्राधि0)/2022—23, दिनांक
21—04—2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए खण्ड विकास स्तरीय
समिति तथा वन पंचायत स्तरीय समिति (वन पंचायतों के स्तर पर प्रत्येक गॉव में वनाग्नि अवरोधक
समिति का गठन) का गठन करते हुए बैठकें तत्काल आयोजित करवा ली जाय।
- <u>फायर ब्रिगेड</u>— भीषण वन अग्नि दुर्घटना होने की स्थिति में तुरन्त दल—बल एवं अग्नि नियंत्रक
वाहनों के साथ अग्नि शमन कार्य में सहयोग करेगें।
- <u>पुलिस</u> — भीषण वन अग्नि दुर्घटना होने की दशा में पुलिस एवं होमगार्ड के जवान उपलब्ध
कराये जायेगें।

  - वन अग्नि दुर्घटना की स्थिति में वन विभाग द्वारा प्रेषित सन्देशों को पुलिस वायरलैस एवं टैलीफौनों से आदान—प्रदान किया जायेगा।

- वन विभाग का एक वायरलैस सेट जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल (DEOC) में स्थापित किया गया है।

- जानबूझकर आग लगाने वाले व्यक्तियों की धर–पकड़ एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही।

- नैनीताल शहर में पर्यटन सीजन के दौरान अपरडांडा, स्नोव्यू व रैमजे अस्पताल के क्षेत्रों में, अग्नि घटना घटित होने की स्थिति में सांय 6 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य वन विभाग के वाहनों को मालरोड इण्डिया होटल से तल्लीताल गेट तक आवागमन हेतु छूट प्रदान करेगें जिसकी सूचना तल्लीताल थाने व अधीनस्थ कर्मचारियों को देगें ताकि वन विभाग के वाहनों को आवागमन हेतु परेशानी न हो।

- लीसा डिपो काठगोदाम के भण्डारित लीसे की सुरक्षा हेतु पुलिस फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराया जाना। समय समय पर अग्निशमन विभाग द्वारा समस्त लीसा डिपो/भण्डारण स्थलों के अग्निसुरक्षा मानकों की जॉच की जाएगी।

- पर्यटन सीजन में पर्यटकों द्वारा मोटर मार्गों के किनारे वाहन खड़ा कर उसी के समीप भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है, जिस कारण लापरवाही से कतिपय अग्नि दुर्घटनायें भी घटती हैं। अतः मार्गो के किनारे खड़े वाहनों के स्वामियों/चालाकें को इस हेतु कठोर निर्देश निर्गत किये जॉए तथा औचक निरीक्षण के माध्यम से पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाए।

- **<u>लोक निर्माण विभाग</u>**– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल लोक निर्माण विभाग के तीनों खण्डों से सड़क मार्गो पर कार्य कर रही गैंग का विवरण मय कि0मी0 वार स्थिति के तत्काल प्राप्त करेगें जिससे उनका सहयोग सड़कों के किनारे अग्नि दुर्घटनाओं के नियंत्रण में किया जा सके तथा लोक निर्माण विभाग अपने मानवीय एवं यांत्रिक संसाधनों की सूचना दिनांक 15–02–2024 तक उपलब्ध करायेगें। इसके अतिरिक्त समस्त फील्ड कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में वन अग्नि दुर्घटना घटित होने पर अग्नि शमन हेतु अपने स्तर से तत्काल कार्यवाही करना तथा वन विभाग के कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करेगे। सड़क मरम्मत में लगी गैंग द्वारा जलती अग्नि को बुझाकर अपने कैम्प को लौटने हेतु निर्देश जारी करेगें। समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गो के किनारे से पत्ते/पिरूल/ लकड़ी आदि 15 फरवरी से पूर्व साफ कराते हुए इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विगत वर्षो में देखा गया है कि मार्गो के किनारे विद्यमान भुट्टे, चायपानी, फूडवैन आदि द्वारा कूड़ा आदि जलाये जाने से भी वनाग्नि की दुर्घटनायें घटित होती रहीं हैं, अतः लोक निर्माण विभाग/विकास प्राधिकरण अपने स्तर से ऐसे सभी व्यवसायियों को नोटिस के माध्यम से सचेत करेगें कि यदि उनकी असावधानी के कारण कोई अग्नि दुर्घटना घटित होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उनका रहेगा तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- **<u>परिवहन विभाग</u>**– सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज तथा के0 एम0 ओ0 यू0 प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहनों पर वन सुरक्षा सम्बन्धी चेतावनी, पोस्टर आदि लगे हों तथा बस चालकों, कन्डक्टरों द्वारा बस के प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रियों को इस सम्बन्ध में सचेत कर दिया जाय। टैक्सी एवं अन्य वाहन मालिकों के साथ बैठक कर वनाग्नि के बारे में सचेत एवं जागरूक करेगें। प्रमुख बस अड्डों पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यात्रियों को यात्रा के दौरान जलती बीड़ी सिगरेट या माचिस की तीली न फैकने के सम्बन्ध में आगाह कर दिया जाय। यह कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा नैनीताल एवं भवाली स्थित रोडवेज डिपो तथा प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा रामनगर डिपो में तथा प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी एवं काठगोदाम डिपो में सुनिश्चित करायी जायेगी। सम्भागीय परिवहन अधिकारी समस्त

टैक्सियों में आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल तथा अन्य आवश्यक दूरभाष नम्बरों के छोटे स्टीकर लगवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

- **स्वास्थ्य विभाग**— वन अग्नि दुर्घटनाओं में जले/ घायल व्यक्तियों के उपचार हेतु बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय नैनीताल तथा बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में बर्न यूनिट को सकिय किया जायेगा तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में इस तरह की दुर्घटनाओं के उपचार हेतु प्राथमिक उपचार की सामग्री रखी जायेगी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल को उपलब्ध करायेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल इन अस्पतालों / केन्द्रों का निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराकर दिनांक 15–02– 2023 तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को प्रस्तुत करेगे।

- **नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत**— उपलब्ध मानवीय तथा यांत्रिक संसाधनों को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराये जायेगें तथा नगरपालिका क्षेत्रों में कूड़ा–कचरा न जलाये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देश जारी करेगें। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करेगें कि नगरीय क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा जलाये जाने वाले कूड़े–कचरे को तत्काल बुझा दिया जाए व ऐसा करने वालों को चिन्हित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। आदेशों की अवहेलना पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेगें।

- **जल संस्थान**— भीषण वन अग्नि दुर्घटना होने पर पानी के टैंकर एवं वाटर पम्प आदि उपलब्ध कराना तथा संस्थानों की सूची स्थलवार दिनांक–15–02–2024 तक प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल को उपलब्ध कराना। लीसा डिपो हनुमागढ़ी, गौलापार तथा सुल्तानगरी लीसा डिपो में आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति करने हेतु उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें। जल संस्थान जनपद नैनीताल अपने–अपने परिसरों में वनाग्निकाल के दौरान हमेशा दो बड़े टैंकर पानी के भरे हुए सुरक्षित रखेगें ताकि आपात स्थिति में तत्काल इनका उपयोग किया जा सके।

- **विद्युत विभाग**— नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत हनुमानगढ़ी लीसा डिपो, काठगोदाम एवं सुल्तानगरी काठगोदाम में लीसे का भण्डारण होता है। उक्त डिपो में फायर हाइड्रैंट सिस्टम/स्प्रिंगलर की स्थापना की गयी है। उक्त सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु बिजली की आवश्यकता रहती है। अतः उक्त दोनों डिपोज में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखी जाए। विद्युत विभाग, सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के अंतर्गत स्थित अपने सब स्टेशन एवं ट्रान्सफर्मरों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में वनाग्निकाल से पूर्व फायर लाईन बनाना सुनिश्चित करेगें। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों से गुजरने वाली हाई टैंशन लाईनों/ लौपिगं आदि की स्थिति की समीक्षा कर ली जाए ताकि शोर्ट–सर्किट आदि के कारण कोई दुर्घटना न होने पाए।

- **एन0सी0सी0**— वन विभाग की आवश्यकतानुसार एन0सी0सी0 कैडेट्स उपलब्ध कराये जायेगें, जो कि प्रचार–प्रसार में सहायता करेगें।

- **जिला सूचना अधिकारी**— विभिन्न दैनिक समाचार–पत्रों में वन अग्नि से सम्बन्धित जागरूकता संदेशों को समय–समय पर प्रकाशित करवायेगें। वनाग्नि के दौरान प्रत्येक दिवस तथ्यात्मक रिपोर्टिगं के आधार पर प्रेस रिलीज निर्गत करेगें तथा उच्चाधिकारियों/सक्षम अधिकारी के माध्यम से समय समय पर वनाग्नि से सम्बन्धित प्रेस ब्रीफिगं करवायेगें। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के माध्यम से स्थानीय टी0वी0 चैनलों में वनाग्नि से सम्बन्धित जागरूकता प्रचार प्रसार करेगें। वन विभाग द्वारा वनाग्नि रोकथाम हेतु की जा रही कन्ट्रोल बर्निगं की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा दैनिक रूप से जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनके द्वारा जिला सूचना अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी जिसके माध्यम से जिला सूचना अधिकारी उक्त सूचना को समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रसारित करवाएगें ताकि किसी प्रकार की भ्रान्ति न उपजने पाए। जिला सूचना अधिकारी यह भी प्रसारित करवाएंगें कि

वनाग्नि की घटना हेतु शरारती तत्वों की प्रमाणिक सूचना देने वाले व्यक्ति को रू0 5,000.00 की धनराशि दी जाएगी।

- **<u>जिला शिक्षा अधिकारी–</u>** वनाग्नि की रोकथाम हेतु वृहद प्रचार–प्रसार हेतु शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल जनपद के समस्त विद्यालयों में वन अग्नि के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता बनाने के उद्देश्य से विचार–विमर्श, गोष्ठियॉ, चित्रकला प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करायेगें तथा विद्यार्थियों को वन अग्नि नियंत्रण के बारे में जानकारी एवं दिशा–निर्देश प्रदान करेगें तथा समस्त स्कूल एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों के वॉलन्टियर कार्यो हेतु प्रेरित करेगें। मार्च से जून के मध्य प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में समस्त विद्यालय अपने–अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को वनाग्नि सम्बन्धित जागरूकता अभियान से जोड़ कर बच्चों को वनाग्नि से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते रहेगें। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल इस हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **<u>राजस्व विभाग–</u>** सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट वनाग्नि दैवीय आपदा से निपटने के लिए अपने–अपने परगनान्तर्गत परगना स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। विशेषकर सिविल एवं पंचायती वनों की सुरक्षा हेतु न्याय पंचायत स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी की निगरानी में गठित टीमों तथा राजस्व एवं ग्राम विकास विभाग के कार्मिकों द्वारा वनाग्नि नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगा। सम्बन्धित तहसीलदार ग्राम प्रहरियों को वनाग्निकाल में सक्रिय रखें तथा इसकी सूचना दिनांक 15–02–2024 तक सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को उपलब्ध करा दें।

  जनपद के विभिन्न ग्रामों अन्तर्गत गठित समुदाय आधारित संगठनों यथा– महिला मंगल दलों/ युवक मंगल दलों/वन पंचायतों/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 एवं स्वंय सेवी संस्थाओं आदि का चिन्हीकरण कर व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण हेतु इनका समुचित सहयोग प्राप्त किया जाये। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

- **<u>ग्राम्य विकास विभाग–</u>** सिविल एवं पंचायती वनों में वनाग्निकाल के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगें। मुख्य विकास अधिकारी, अपने स्तर से इन वनों की सुरक्षा हेतु वनाग्नि प्रबंधन प्लान बनायेगें तथा इसकी एक प्रति समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को भी देगें। गत वर्ष की भॉति मनरेगा योजना के अन्तर्गत ट्रेंच, फायर लाईन आदि के कार्य कराये जॉए। ग्राम पंचायतों को फायर लाईन बनाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा सर्वश्रेष्ठ वनाग्नि सुरक्षा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा पुरूस्कृत किया जाएगा।

- **<u>आपदा विभाग–</u>** वनाग्नि एक दैवीय आपदा है। अतः इसके प्रबंधन एवं रोकथाम हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल वनाग्निकाल में प्रभावी सक्रिय बना रहेगा। प्रतिदिन की सूचनाओं को आपदा एवं वन विभाग आपस में आदान–प्रदान करेगें। SDRF की जिला स्तरीय इकाई सक्रिय रहेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर वन विभाग की मदद हेतु तत्परता से कार्य करेगी। आपदा से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनाऐं 15–02–2024 तक समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित करेगें। वनाग्नि नियंत्रण एवं बचाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल से उपकरणों की सूची प्राप्त कर आपदा मद से क्रय कराते हुए सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराएगें।

- **<u>जैव प्रोद्योगिक संस्थान पटुवाडांगर/ राष्ट्रीय पादप आनुवाशिंकी संसाधन ब्यूरो भवाली/ एरीज (मनोरा एवं देवस्थल)/आई0वी0आर0आई0/ छावनी परिषद, लड़ियाकॉटा रडार क्षेत्र/ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल –</u>** जैव प्रोद्योगिक संस्थान पटुवाडांगर, राष्ट्रीय आनुवाशिंकी संस्थान ब्यूरो भवाली, एरीज, छावनी पालिका, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल तथा लड़ियाकॉटा स्थित परिसरों की अग्नि से

सुरक्षा हेतु सम्बन्धित संस्थान आवश्यक सतर्कता बरतेगें तथा अग्नि से सुरक्षा हेतु अपने–अपने परिसरों की नियमित सफाई, अग्नि पूर्व निवारक कार्य सम्पन्न करायेगें। किसी भी अग्नि दुर्घटना हेतु सम्बन्धित संस्थान उत्तरदायी रहेगें तथा अग्नि दुर्घटना घटित होने की स्थिति में वन विभाग को पूर्ण सहयोग तथा मानवीय श्रम आदि उपलब्ध करायेगें। वनाग्नि घटित होने की स्थिति में वन विभाग के वाहनों/कर्मचारियों को उक्त परिसरों में आवागमन की अनुमति अनुमन्य रहेगी। इस हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत समस्त संस्थानों/ विभागों को पृथक से आदेश ज़ारी किए जॉए।

- वन पंचायतों एवं आबादी के समीप अग्नि दुर्घटना घटने पर सम्बन्धित वन पंचायत/ग्राम प्रधान/ग्राम प्रहरी अग्नि नियंत्रण हेतु कार्यवाही करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उन वन पंचायतों में जिनमें विगत पॉच वर्षो से निरन्तर वनाग्नि घटित होती रही हो परन्तु यदि इस वर्ष ग्रामीणों के सहयोग से कोई वनाग्नि दुर्घटना घटित नहीं होती है तो ऐसी वन पंचायतों को जिला प्रशासन स्तर से पुरूस्कृत करते हुए क्रमशः 3000, 2000, 1000 रू0 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन पंचायतों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जायेगें। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी वन पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जाने वाले कार्यो में भी वरियता प्रदान करवायी जायेगी।

- *जनपद नैनीताल स्थित सभी सरकारी कार्यालय/ विद्यालय परिसर (सरकारी/निजी) अपने अपने परिसरों की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत पूर्णतया सफाई सुनिश्चित करेगें जिसे 01 से 10 मार्च, 01 अप्रेल से 10 अप्रेल, 01 से 05 मई तथा 01 जून से 05 जून (पर्यावरण दिवस) के मध्य विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/संस्थान प्रभारी द्वारा निर्धारित अवधियों में आयोजित किया जायेगा। परिसरों से एकत्रित होने वाले कूड़े/पत्ते आदि को सुरक्षित रूप से निस्तारण करवाया जायेगा जिस हेतु संस्थान/विद्यालय प्रभारी नगर पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका के अधिकारियों को सूचित करेगें तथा उनके द्वारा उक्त कूड़े का सुरक्षित रूप से निस्तारण करवाया जायेगा। सुनिश्चित करेगें कि एकत्रित कूड़े को किसी भी हाल में वन क्षेत्रों आदि में न फैंका जाय।*

- वनाग्नि की सूचनाओं को BHUVAN P portal पर देखकर भी मीडिया में प्रसारित करें।

- <u>वन विभाग</u>–

  - वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये स्लोगन/स्टीकर बनाकर वितरित किया जाना।
  - वन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना घटने की सूचना देने सम्बन्धी दूरभाष/मोबाइल नम्बरों को मोटर मार्गों के किनारे/चौकियों /बैरियर्स पर साइनेज के रूप में प्रदर्शित करना।
  - लड़ियाकॉटा स्थित रडार क्षेत्र के समीप आरक्षित वन क्षेत्र में नियंत्रित/नियमित दाहन का कार्य।
  - स्वंयसेवी संस्थाओं तथा पर्यावरणविदों, शिक्षकों का सहयोग लेकर विद्यालयों में वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु जागरूकता व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
  - अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित करना।
  - वन पंचायतों के सरपंचों तथा लीसा मेटों के साथ वनाग्नि नियंत्रण हेतु समन्वय स्थापित करना।
  - जिला स्तरीय वॉलन्टियर की टीमें बनाया जाना।

- वनों की अग्नि से सुरक्षा के दौरान यदि कोई दुर्घटना घटित होती है (कोई व्यक्ति घायल अथवा किसी की मृत्यु हो जाती है) तो उसकी सूचना 24 घंटे के अन्दर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना।

- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, वनाग्नि के दृष्टिकौण से संवेदनशील/अति संवेदनशील क्षेत्रों (चीड़ बाहुल्य क्षेत्र) में कलस्टर के आधार पर गठित की जा रही ग्राम पंचायत स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन समितियों/ वन पंचायतों द्वारा वनाग्नि नियत्रण/प्रबन्धन हेतु की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगे।

- जनपद स्तर चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय महिला मंगल दलों, स्वंय सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे चीड़ पिरूल एकत्रीकरण की कार्यवाही का समय–समय पर अनुश्रवण किया जाये ताकि इससे इन समूहों की आजीविका में वृद्धि हो सके एवं वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम भी हो सके।

- वनो की अग्नि से सुरक्षा हेतु जनपद स्तरीय विभिन्न विभागो के अधिकारियो का एक WhatsApp ग्रुप बनाने पर सहमति व्यक्त की गई जिसमे वन अग्नि दुघर्टना की सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। WhatsApp ग्रुप बनाने की कार्यबाही एवं संचालन प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा किया जायेगा।

- वन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची Nic Nainital की वैबसाईट पर अपलोड कराई जाए। जिसमें सभी प्रभागीय वनाधिकारियों एवं उप प्रभागीय वनाधिकारियों के नाम एवं उनके मोबाईल नं0 भी अंकित रहेगें।

- प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की पत्र संख्या– 220/X-2-2024-21(10)2020-E-18060 दिनांक 03.02.2024 के क्रम में जिला प्रशासन स्तर से वनाग्निकाल के दौरान वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव ड्यूटियों से मुक्त रखा जायेगा तथा वन विभाग के वाहनों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। प्र0।स0वि

अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति/
जिलाधिकारी, नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्र संख्या–5025 / 27–4 , दिनाक,नैनीताल,13-02- 2024.

प्रतिलिपि दिनांक– 12–02–2024 को जिलाधिकारी, नैनीताल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति की बैठक का कार्यवृत निम्नलिखित को इस आषय से प्रेषित कि कार्यवृत्त में अंकित निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करने तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को तद्नसार अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें :–

1. प्रभागीय बनाधिकारी– भूमि संरक्षण नैनीताल, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी ,तराई पूर्वी हल्द्वानी, तराई केन्द्रीय हल्द्वानी, तराई पश्चिमी रामनगर, रामनगर वन प्रभाग, उप निदेशक, टाईगर प्रोजेक्ट रामनगर तथा परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, भीमताल।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,नैनीताल।
3. मुख्य विकास अधिकारी,नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नैनीताल।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण/अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल/भवाली।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नैनीताल।
7. समस्त परगनाधिकारी, जनपद नैनीताल।
8. मेयर, नगर निगम हल्द्वानी।
9. अध्यक्ष, नगरपालिका नैनीताल, रामनगर, भवाली तथा भीमताल।
10. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कुमाऊँ सम्भाग,हल्द्वानी।
11. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
13. निदेशक, एरीज, मनोरापीक तथा देवस्थल, नैनीताल।
14. निदेशक, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर।
15. विगं कमाण्डर, एयर फोर्स भवाली।
16. अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, नैनीताल।
17. निदेशक, जैव प्रोद्योगिक संस्थान, पटुवाडांगर, नैनीताल।
18. निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र भवाली।
19. प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल
20. कमाडेण्ड, एन0सी0सी0, नैनीताल।
21. आपदा प्रबंधन अधिकारी, नैनीताल।

<u>संलग्नक</u>:– उपस्थिति सूचना।

सदस्य सचिव, जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

<u>संख्या–5025(1)/ उक्त दिनाकिंत।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य वन संरक्षक,(कुमाऊँ),उत्तराखण्ड,नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक, आपदा एवं वनाग्नि प्रबन्धन/ उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।
7. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ/ पश्चिमी वृत्त, नैनीताल/ हल्द्वानी।।
8. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

सदस्य सचिव, जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

वाहन अधिग्रहण आदेश

जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के आदेशानुसार वनाग्नि बचाव कार्य हेतु आपके विभागीय वाहन को अग्रिम आदेशों तक अधिगृहित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः रिक्यूजीशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, इमरजेन्सी पावर इमेन्डमेंट एक्ट 1970 के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आपका विभागीय वाहन को **अग्रिम आदेशों तक तत्काल** प्रभाव से अधिग्रहित करता हूँ ।

अतः आप अपना विभागीय वाहन अच्छी हालत में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशानुसार **तत्काल दिनांक 02.05.2024 को प्रातः 08:00 बजे तक** प्रत्येक दशा में अपना विभागीय वाहन जो अच्छी दशा में हो को प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय वन प्रभाग हल्द्वानी को **वाहन मय चालक व पर्याप्त ईंधन** के अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

(व्यक्तिगत ध्यान आपेक्षित है)

नगर मजिस्ट्रेट,
हल्द्वानी।

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक मेमौ /ना0ना0/वा0अधि0/वी0आई0पी0/2023 दिनांक 01.05.2024

सेवा में,

1.	महा प्रबन्धक, पी.आई.यु0 जमरानी हल्द्वानी।
2.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड हल्द्वानी। (कैम्पर)
3.	संयुक्त आयुक्त, (कार्यपालक/प्रर्वतन) राज्य कर हल्द्वानी सम्भाग हल्द्वानी ।

नगर मजिस्ट्रेट
हल्द्वानी।

प्रतिलिपि–
1– जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हल्द्वानी जिला नैनीताल।

नगर मजिस्ट्रेट
हल्द्वानी।

वाहन अधिग्रहण आदेश

जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल द्वारा आज दिनांक 26.04.204 को प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जनपद नैनीताल में जारी वनाग्नी के तहत प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल के उपयोगार्थ हेतु विभागीय वाहनों को अधिग्रहित करते हुये रिक्यूजीशन ऑफ मोटर व्हीकल इमरजेसी पावर अमेन्डमेंट एकट 1970 के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं,उप जिलाधिकारी रामनगर आपके विभागीय वाहन को अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित करता हूँ।

अतः आप अपने विभागीय वाहन को तत्काल दिनांक 27.04.2024 की प्रातः 10:00 बजे प्रत्येक दशा में अपना विभागीय वाहन प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल को मय वाहन चालक व पर्याप्त ईधन के अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

अधिग्रहीत वाहन संख्या/ विभाग का नाम	चालक का नाम एंव विभाग के सम्पर्क अधिकारी का नाम एंव मोबाईल नंबर
UK04 T.A,/7016सिंचाई विभाग रामनगर	श्री हरीश कुमार, वाहन चालक 9917356990 श्री विनीत तोमर, कार्यालय सहायक 8923033491
UA04 GA/0086 राज्य कर विभाग रामनगर	श्री भूपेन्द्र जोशी, वाहन चालक 8218647179

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(राहुल शाह)
उपजिला मजिस्ट्रेट
रामनगर।

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट, रामनगर

पत्र संख्या ज्ञाप/ना0ना0/2023–2024/वाहन अधिग्रहण दिनांक 26.04.2024

प्रतिलिपि – 1–जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–प्रभागीय वनाधिकारी,नैनीताल को उक्तानुसार सूचनार्थ।
3–अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड रामनगर को उक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित।
4–राज्य कर अधिकारी, कर विभाग रामनगर को उक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित।

उपजिला मजिस्ट्रेट
रामनगर।

पं 2222-5

आदेश

वर्तमान ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान जनपद के वनाग्नि से संवेदनशील क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। सम्बन्धित वन प्रभागों द्वारा वनाग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तैनात की गई टीमों के माध्यम से प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है परन्तु वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं एवं इनके परिमाण के दृष्टिगत ग्राम स्तर पर वनाग्नि की घटनाओं की सूचना प्राप्त किये जाने तथा ग्रामीणों, महिला एवं युवक मंगल दल व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सामुदायिक सहयोग प्राप्त कर सम्बन्धित वन विभाग के माध्यम से इनके नियंत्रण व रोकथाम हेतु निम्नानुसार न्यायपंचायत स्तर पर नामित टीम लीडर के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम स्तरीय अधिकारियों (राजस्व/ग्राम पंचायत/ग्राम विकास) की तैनाती करते हुए टीमों का गठन किया जाता है :–

गठित टीमें शीघ्र अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत वनाग्नि की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही करते हुए वन विभाग एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से रोकथाम व नियंत्रण की अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगी। किसी भी प्रकार की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल को दूरभाष संख्या 05942–231178/231179 तथा ईमेल–deocnainital@gmail.com के साथ–साथ राज्य वनाग्नि नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नम्बर–**18001804141** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

संलग्न : न्याय पंचायतवार टीम।

ह0
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

संख्या 1086/13–सी॰आर॰ए॰(आ.प्र.प्राधि.)/2024–25 दिनांक 29 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि नामित समस्त टीम लीडर/सदस्यों को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि तैनात अधिकारियों/सदस्यों से तत्काल उक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें :–

1. जिला विकास अधिकारी, नैनीताल।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल।
5. समस्त तहसीलदार, जनपद नैनीताल।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद नैनीताल।

प्रतिलिपि समस्त उप जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने–अपने क्षेन्तार्गत गठित टीमों के माध्यम से किये जा रहे राहत व बचाव कार्यों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा),

वनाग्नि रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत न्याय पंचायत स्तर पर गठित दलों/टीमों का विवरण– जनपद नैनीताल

क्र॰ सं॰	न्याय पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम	टीम लीडर का नाम/पदनाम/ दूरभाष	राजस्व उप निरीक्षक का नाम/ पदनाम/ दूरभाष	ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम/ पदनाम/दूरभाष	ग्राम विकास अधिका का नाम/ पदनाम/दूरभाष
	वन क्षेत्राधिकारी का नाम/नम्बर						
वन प्रभाग, नैनीताल : श्री राज कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, 9759006088, श्री हेम चन्द्र गहतोड़ी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुक्तेश्वर–9410159697							
1	सुनकोट	ओखलकांडा	धारी	डा॰ नारायण सिंह, कृ॰ एवम् भू॰ संरक्षण अधिकारी,भीमताल। 9627410476	श्री जगदीश चन्द्र रा॰उ॰नि॰, 9412943286	श्री ललित कुमार, ग्रा॰पं॰वि॰अ॰ 7534882154	श्री हरीश सिंह नेगी ग्रा॰वि॰अधि॰ 9193253332
	श्री कैलाश चन्द्र गुणवन्त, व॰क्षे॰, देवीधूरा, चम्पावत वन प्रभाग, 9458911095 (धैना, तल्ला काण्डा,दिगोली,कुलौन,पजैना, ढोलीगांव, भेटीदियरखोली, सेमलकन्या, डलौज, कजलाकोट, भौनरा,जोस्यूडा, वलना, पतलिया)						
2	नाई	ओखलकांडा	धारी	श्री विपिन चौहान, अधि॰अभि॰ जल संस्थान, नैनी॰ 9412085082	श्री जगदीश चन्द्र रा॰उ॰नि॰, 9412943286	श्री कृष्ण कुमार, ग्रा॰पं॰वि॰अ॰ 9027446074	श्री संतोष कुमार आ ग्रा॰वि॰अधि॰ 9719735708
	श्री प्रमोद कुमार, व॰क्षे॰ उत्तरी गौला 941232505 श्री ललित मोहन कार्की, वन क्षेत्राधिकारी, मल्ला ओखलकांडा, द॰गौला 7505070711 श्री कैलाश चन्द्र गुणवन्त, व॰क्षे॰, देवीधूरा, चम्पावत वन प्रभाग, 9458911095 (भुमका,चकदलाड,पन्तोली,नरतोला,हरीनगर,सूनी, कोटला,कटना)						
3	तुषराड़	ओखलकांडा	धारी	श्री डोभाल, सहा॰ अभियन्ता, जल संस्थान, नैनीताल। 9412134680	श्री पवन ध्यानी, रा॰उ॰नि॰, 9761895056	श्री उदयराज सिंह नेगी, ग्रा॰पं॰वि॰अ॰ 7500012109	श्री सुनील कुम चन्याल, ग्रा॰वि॰अधि॰ 8958830074
	श्री ललित मोहन कार्की, वन क्षेत्राधिकारी, मल्ला ओखलकांडा, द॰गौला 7505070711						
4	कालाआगर	ओखलकांडा	खन्स्यू	श्री विवेक मोहन गिरी, सहा॰अभि॰,अ॰खं॰, लो॰नि॰वि॰, भवाली। 9412924546	श्री निर्मल बोरा, रा॰उ॰नि॰, 8630371304	श्री दीप चन्द्र जोशी, ग्रा॰पं॰वि॰अ॰ 8449858244	श्री प्रमोद कुमार, ग्रा॰वि॰अधि॰, 9719134682
	1. श्री ललित मोहन कार्की, वन क्षेत्राधिकारी, मल्ला ओखलकांडा, द॰गौला 7505070711 (गरगड़ी मल्ली, गरगड़ी तल्ली, झड़गॉव मल्ला, झड़गॉव तल्ला, साल गॉव) 2. श्री नितिन पंत, वन क्षेत्राधिकारी, हैड़ाखान, बड़ौन 8279775124 (लूगड़, गाजा,						

	ककोड़गाजा, हरीशताल, चमोली, बड़ौन,तीमर,कालाआगर, पटरानी, कौंता) 3. श्री भूपाल सिंह मेहता, व.क्षे.नंधौर (हल्द्वानी वन प्रभाग), 6397536957 (ककोड़, गहना, गांजा, नैथना, आम, हरीशताल, पिंथली)						
5	ओखलकांडा	ओखलकांडा	धारी	श्री तनवीर असगर, खण्ड विकास अधिकारी, ओखलकाण्डा। 9456777140	श्री पवन ध्यानी, रा.उ.नि., 9761895056	श्री कृष्ण कुमार, ग्रा.पं.वि.अ., 9027446074	श्री रवि सिंह, ग्रा.वि.अधि., 9719195379
	श्री ललित मोहन कार्की, वन क्षेत्राधिकारी, मल्ला ओखलकांडा, द.गौला 7505070711						
6	डालकन्या	ओखलकांडा	खन्स्यू	श्री दिलीप सिंह बिष्ट, सहा॰ अभियन्ता, जल संस्थान, नैनीताल। 7055012611	श्री हेमन्त वर्मा, रा.उ.नि., 7500788884	श्री शहनवाज आलम, ग्रा.पं.वि.अ. 9012515547	श्री राजेन्द्र कुमार, ग्रा.वि.अधि., 9756126170
	श्री ललित मोहन कार्की, वन क्षेत्राधिकारी, मल्ला ओखलकांडा, द.गौला 7505070711 श्री प्रदीप कुमार पंत, , वन क्षेत्राधिकारी, डांडा, हल्द्वानी वन प्रभाग 8006200495 (कुण्डल, ल्वाड़, डूंगरी, अधौड़ा, अमजड़, सुआकोट पोखरी, गौनियारो)						
7	चौखुटा	धारी	धारी	श्री कैलाश रजवार, सहा.अभि॰ नि.ख., 9412908582	श्री अमित साह गोस्वामी, रा.उ.नि., 7302725044	कु॰ सुमन राणा, ग्रा.पं.वि.अ. 8057984802	श्री के0सी0दानी ग्रा.वि.अधि., 9917528101
	श्री प्रमोद कुमार, व.क्षे॰ उत्तरी गौला 941232505						
8	मज्यूली	धारी	धारी	श्री धीरज सिंह रितु कुकरेती कृ॰ एवम् भू॰ संरक्षण अधिकारी,भीमताल। 9917532320	श्रीमती मीनाक्षी भटट, रा.उ.नि., 9675934070	श्री विनोद कुमार सिह, ग्रा.पं.वि.अ. 8899122567	श्री दीपक पाण्डे, ग्रा.वि.अधि., 7579227777
	श्री प्रमोद कुमार, व.क्षे॰ उत्तरी गौला 941232505 श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट, व.क्षे.भूमि सं., 8954407777						
9	सरना	धारी	धारी	सुश्री अनुलेखा बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल। 9456324670	श्री अमित साह गोस्वामी, रा.उ.नि., 7302725044	श्री मुकुल पाण्डे, ग्रा.पं.वि.अ. 9837961433	श्री धीरज जोशी, ग्रा.वि.अधि., 8077392315
	श्री विजय मेलकानी, व.क्षे॰ भवाली 9634127784 श्री नितिन पंत, वन क्षेत्राधिकारी, हैड़ाखान, बड़ौन 8279775124						

10	खुर्पाताल	भीमताल	नैनीताल	श्री कमलेश बिष्ट, अ. मुख्य अधि., जिला पंचायत, नैनीताल। 9528790027	श्री प्रकाश सैनी, रा.उ.नि., 8937817370	श्रीमती नेहा त्रिपाठी, ग्रा.पं.वि.अ. 9105339021 श्रीमती किरन,ग्रा.पं.वि.अ. 8449297625	श्री लीलाधर आर्य, ग्रा.वि.अधि. 9675389152
	श्री मुकुल शर्मा, व.क्षे. बल्दियाखान 9917292857/ श्री प्रमोद तिवाड़ी, व.क्षे., नैना, 8979349155						
11	ज्योलीकोट	भीमताल	नैनीताल	श्री नन्दन बोरा, सहायक अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि.,ज्योलीकोट 9997103299	श्री राकेश कठायत, रा.उ.नि., 9756515744	श्रीमती बीना, ग्रा.पं.वि.अ. 7060172494 श्री विवेक, ग्रा.पं.वि.अ. 8476065625	सुश्री सरित राठोर, ग्रा.वि.अधि., 7060741224
	श्री मुकुल शर्मा, व.क्षे. बल्दियाखान 9917292857 श्री ख्याली राम आर्या, व.क्षे.फतेहपुर (रामनगर वन प्रभाग), 9634717917 (बोहरागांव, नाईसेला, बेल, भद्यूनी)						
12	रानीबाग	भीमताल	नैनीताल	श्री एम.बी.थापा, सहा.अभि.राश्ट्रीयमार्ग,हल्द्वानी 991734153	श्री शिव सिंह चौहान, रा.उ.नि., 9927293519	श्री हरीश श्रीवास्तव, ग्रा.पं.वि.अ. 9410110238	श्री उत्तम नाथ गोस्वा ग्रा.वि.अधि. 9837393956
	श्री मुकुल शर्मा, व.क्षे. बल्दियाखान 9917292857 श्री ख्याली राम आर्या, व.क्षे.फतेहपुर (रामनगर वन प्रभाग), 9634717917 (बल्यूटी)						
13	ओखलढूंगा	भीमताल	नैनीताल	श्री सुरेश बैनी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल। 9456768818	श्री विनोद परगांई, रा.उ.नि., 8859298449	श्री राकेश प्रसाद, ग्रा.पं.वि.अ. 7088494777	श्री राजदेव वर्मा, ग्रा.वि.अधि., 9917040755
	श्री नितिन पंत, वन क्षेत्राधिकारी, हैड़ाखान, बड़ौन 8279775124 (रोशिल, पनियामेहता, सिरोड़ी, बड़ैत, स्यूड़ा, गुमोलगांव, पनियाबोर, ओखलडूंगा हैड़ाखान)						
14	पिनरो	भीमताल	नैनीताल	श्री दीपांकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल। 9412114011 8077641031	श्री प्रकाश, रा.उ.नि., 9675124834	श्री हरीश श्रीवास्तव, ग्रा.पं.वि.अ. 9410110238	श्री मोहन राम आया ग्रा.वि.अधि., 9627459371
	श्री विजय मेलकानी, व.क्षे. भवाली 9634127784 श्री नितिन पंत, वन क्षेत्राधिकारी, हैड़ाखान, बड़ौन 8279775124 (उड़ुवा, पस्तौला, भौर्सा बानना)						

15	**थपलिया मेहरागांव**	**भीमताल**	**नैनीताल**	श्री गोपाल गिरी गोस्वामी, जिला विकास अधिकारी, नैनीताल। 9412925575	श्री चन्द्र गोस्वामी, रा.उ.नि., 9639421165	श्री कृष्ण कुमार ग्रा.पं.वि.अ. 7535829754	श्री मोहन राम आय ग्रा.वि.अधि., 9627459371
	श्री विजय मेलकानी, व.क्षे. भवाली 9634127784						
16	**सांगुड़ीगांव**	**भीमताल**	**नैनीताल**	श्रीमती चन्दा फर्तियाल सहायक परियोजना निदेशक,डी.आर.डी.ए., भीमताल 9917659936	श्री भुवन चन्द्र, रा.उ.नि., 9411396996	कु0 मंदिरा बुदियाल, ग्रा.पं.वि.अ. 9410593531	श्री लीलाधर आर्या ग्रा.वि.अधि., 9675389152
	श्री विजय मेलकानी, व.क्षे. भवाली 9634127784						
17	**रामगढ़**	**रामगढ़**	**नैनीताल**	श्री आर.के.सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल। 9412164753 7906830490	श्री ललित मोहन, रा.उ.नि., 9012813171	श्रीमती पूजा पाल, ग्रा.पं.वि.अ. 8392801176	सुश्री पुनीता तोमर ग्रा.वि.अधि., 9389237196
	श्री विजय मेलकानी, व.क्षे. भवाली 9634127784 श्री हेम सिंह नेगी, भूमि सं.व.क्षे. रामगढ़ 9720797330						
18	**पाथरी**	**रामगढ़**	**कोश्या कुटौली**	डा0 वी.के.यादव, मुख्य कृशि अधिकारी, नैनीताल 9412987380	श्री पूरन चन्द्र सनवाल,रा.उ.नि., 9412164988	श्री नीरज तिवारी, ग्रा.पं.वि.अ. 9837821112	श्री पंकज जोशी ग्रा.वि.अधि., 7830750068
	श्री प्रमोद कुमार, व.क्षे. उत्तरी गौला 941232505						
19	**नथुवाखान**	**रामगढ़**	**नैनीताल**	श्री हिमांशु जोशी परियोजना निदेषक, डी.आर.डी.ए.,भीमताल। 7454837334	श्री ललित मोहन, रा.उ.नि., 9012813171	श्री विपिन सैनी, ग्रा.पं.वि.अ., 9758676945	श्री हेम चन्द जोशी, ग्रा.वि.अधि., 9690563902
	श्री प्रमोद कुमार, व.क्षे. उत्तरी गौला 941232505						
20	**सिरमौली**	**रामगढ़**	**नैनीताल**	श्री प्रतीक जोशी जिला युवा कल्याण अधिकारी, नैनीताल। 9548298997	श्री ललित मोहन, रा.उ.नि., 9012813171	श्री विपिन सैनी, ग्रा.पं.वि.अ., 9758676945	श्री धीरज कुमार पाण ग्रा.वि.अधि., 9639204427
	श्री प्रमोद कुमार, व.क्षे. उत्तरी गौला 941232505 श्री नवीन चन्द्र जोशी, व.क्षे.भूमि सं., 9027125574						

आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 1086/13–सी.आर.ए. (आ.प्र.प्राधि.)/2024–25 दिनांक 29 अप्रैल, 2024 द्वारा वर्तमान ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं एवं इनके परिमाण के दृष्टिगत ग्राम स्तर पर वनाग्नि की घटनाओं की सूचना प्राप्त किये जाने तथा ग्रामीणों, महिला एवं युवक मंगल दल व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सामुदायिक सहयोग प्राप्त कर सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से इनके नियंत्रण व रोकथाम हेतु न्यायपंचायत स्तर पर नामित टीम लीडर के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय अधिकारियों (राजस्व/ग्राम पंचायत / ग्राम विकास) की तैनाती करते हुए QRT टीमों का गठन किया गया है।

वनाग्नि की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही हेतु गठित टीमों से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु श्री नवीन चन्द्र, मास्टर ट्रेनर, खोज एवं बचाव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे न्याय पंचायत स्तर पर गठित QRT टीमों से समन्वय स्थापित कर टीमों हेतु (सूक्ष्म प्रशिक्षण) शिविर आयोजित कर टीमों की ब्रीफिंग कर उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने की कार्यवाही करते हुए QRT टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं घटनाओं की प्रतिदिन की जानकारी से अपरान्ह 05:00 बजे अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 04.05.2024

ह./–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

संख्याः–369/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 6 मई, 2024

प्रतिलिपि श्री नवीन चन्द्र, मास्टर ट्रेनर, खोज एवं बचाव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(फिंचाराम चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी
नैनीताल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश संख्या 369/13–सी. आर.ए./2024 दिनांक 06 मई, 2024 के अनुपालन में मेरे द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर गठित QRT से समन्वय स्थापित कर टीमों को निम्नानुसार तिथियों पर न्याय पंचायतवार सूक्ष्म प्रशिक्षण प्रदान किया गया:–

क्रम सं.	प्रशिक्षण की तिथि	न्याय/ग्राम पंचायत का नाम
01	30.04.2024	ग्राम पंचायत बोहराकोट, विकास खण्ड रामगढ़
02	02.05.2024	ग्राम पंचायत नैकाना, विकास खण्ड रामगढ़
03	02.05.2024	ग्राम पंचायत घोड़ाखाल, विकास खण्ड रामगढ़
04	07.05.2024	न्याय पंचायत चिल्किया, विकास खण्ड रामगढ़
05	07.05.2024	न्याय पंचायत छोई, विकास खण्ड रामगढ़
06	08.05.2024	न्याय पंचायत गिनतीगांव, विकास खण्ड रामगढ़
07	09.05.2024	न्याय पंचायत सांगुड़ीगांव, विकास खण्ड भीमताल
08	14.05.2024	न्याय पंचायत अमगढ़ी, विकास खण्ड कोटाबाग
09	25.05.2024	न्याय पंचायत अल्चौना, विकास खण्ड भीमताल।

उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण शिविरों में पंचायत में निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये:–

01. खुले में कूड़ा जलाये जाने पर प्रतिबन्ध।
02. कूड़े का उचित निस्तारण।
03. खुले में कूड़ा जलाता हुआ पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम/पंचायती राज अधिनियम/आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही।
04. खेतों में खरपतवार इत्यादि को जलाकर न छोड़ा जाए।
05. जनजागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार।
06. जानबूझकर आग लगाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही।
07. वनाग्नि को बुझाने हेतु ग्रामीणों की अनिवार्य भागीदारी।

उपरोक्तानुसार महोदया के आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

(नवीन चन्द्र)
मास्टर ट्रेनर, (खोज एवं बचाव)
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
नैनीताल।

कार्यवाही विवरण

Date 02/05/2024
Page

ग्राम पं० - छोड़ाखाल वि०ख० - रामगढ़ जनपद - नैनीताल

जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के निर्देश एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल के पत्रसं० - 307 - पं० / विविध / 2024-25, दिनांक 27/04/2024 के क्रम में ग्राम पंचायत छोड़ाखाल में ग्राम प्रधान श्रीमती वर्षा साह की अध्यक्षता में वनाग्नि रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं प्रभावी कदम उठाने हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में निम्नवत् कार्यवाही की गयी :—

1. ग्राम प्रधान श्रीमती वर्षा शाह द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को वनाग्नि के कारण जैसे खुले में कूड़ा जलाने, ज्वलनशील पदार्थ वनक्षेत्र में छोड़ने एवं अन्य के विषय में जानकारी दी गयी।
2. उप ग्राम प्रधान श्री श्याम वाल्मिकी द्वारा उपस्थित लोगों को वनाग्नि के कारणों से होने वाली हानियों इत्यादि के विषय में जानकारी दी गयी एवं लोगों से खुले में कूड़ा इत्यादि न जलाने एवं आस पास क्षेत्रों में आग लगने पर तुरंत आपातकालीन नं० पर सूचना देने की अपील की गयी।
3. क्षेत्रान्तर्गत जानबूझकर वन क्षेत्र या आसपास आग लगाने या खुले में कूड़ा जलाने वाले दोषियों पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अर्थदंड व नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव पारित किये गये।

बैठक के अन्त में ग्रामीणों व उपस्थित लोगों द्वारा खुले में कूड़ा न जलाने एवं वन क्षेत्रों को आग लगने से बचाने हेतु आवश्यक प्रयास करने का संकल्प लेते हुए विशेष बैठक का समापन किया गया।

(Signatures in left margin: [illegible], विद्या देवी, इन्द्रा जोशी, [illegible], गोपाल [illegible], [illegible], हेमचन्द्र, कुमारी देवी, [illegible] चन्द्र, Deepika, [illegible], [illegible], मनोज कुमार, [illegible])

[signature] 02/05/2024

(धीरज कुमार पाण्डेय)
ग्राम विकास अधिकारी,
रामगढ़, नैनीताल

[signature]
उप ग्राम प्रधान
छोड़ाखाल नैनीताल

वर्षा साह
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत छोड़ाखाल
वि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

DATE 29.04.2024

PAGE

आज दिनांक 29.04.2024 को ग्राम सभा ज्योलीकोट विकासखण्ड भीमताल में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन अपराह्न 1:00 बजे से दिल्ली पब्लिक स्कूल में ग्राम प्रधान श्रीमती शशि नैनवाल की अध्यक्षता में किया गया–

बैठक में वनाग्नि रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु चर्चा की गयी।

वनों को आग से बचाव हेतु जानकारी दी गयी तथा ग्रामवासियों को इसके प्रति जागरूक किया गया वनाग्नि से होने वाले नुकसान के विषय में लोगों को बताया गया।

खुले में कूड़ा न जलाने हेतु ग्रामवासियों को बताया गया खुले में कूड़ा जलाने पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

अतः खुले में कूड़ा न जलाया जाये, कूड़ा जलाने व वनों में आग लगाने पर केस दर्ज किया जायेगा तथा वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अंत में ग्राम प्रधान जी द्वारा खुले में कूड़ा न जलाने व वनों को आग से बचाने की अपील की गयी तथा इस विशेष बैठक का समापन किया गया।

Shashi
विनीता देवी
[illegible]
मोहन [illegible]
[illegible] लाल
कमल किशोर
[signature]
पुष्पा देवी
[signature]
विनीता देवी
सोनू देवी
[illegible]

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत......[illegible]
विकास खण्ड......भीमताल

Shashi
प्रधान
ग्राम सभा–ज्योलीकोट

आज दिनांक 30/4/2024 को ग्राम पंचायत बोहराकोट मे ग्राम प्रधान श्री बसन्त लाल शाह की अध्यक्षता मे ॥ बढ़ते वनाग्नि की रोकथाम हेतु जिला अधिकारी महोदय के निर्देश एवं जिला पंचायती राज अधिकारी के पत्र संख्या 30/7-पं०/विविध/2024-25 दिनांक 27/4/2024 के क्रम मे ग्राम स्तर पर जागरूकता एवं प्रभावी कदम उठाने हेतु प्राथमिक विद्यालय में खुली बैठक का आयोजन किया गया,

बैठक में खण्ड विकास अधिकारी महोदय श्री संजय गांधी जी उपस्थित रहे, बैठक के प्रारम्भ में ग्राम प्रधान श्री बसन्त लाल शाह के द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को वनाग्नि के कारणों से होने वाली हानि एवं रोकथाम के सम्बन्ध मे ग्रामीणों को जानकारी दी गयी। बैठक मे वनाग्नि रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं जानबूझकर आग लगाने वाले दोषियों पर 1 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, बैठक के अन्त में ग्रामीणों द्वारा खुले मे कूड़ा इत्यादि न जलाने एवं वनो को अग्नि से बचाने हेतु संकल्प लेते हुए सभा का समापन किया गया।

हर्षिता जोशी
Rajat Rawat
Gulab Singh
गंगा देवी
लक्ष्मी देवी
कान्ति
कविता देवी
Basant Sah

Basant Sah
प्रधान
ग्राम पंचायत– बोहराकोट
वि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

एजेन्डा/सूचना पंजिका

दिनांक 1/5/2024

...गढ़ वि०ख० ... जनपद ...

जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के निर्देश एवं जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल के पत्रांक-3017/पं० विविध/2024-25, दिनांक 27/04/2024 के क्रम में ग्राम पंचायत उमागढ़ की ग्राम प्रधान रेखा जोशी की अध्यक्षता में वनाग्नि की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं प्रभावी कदम उठाने हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में निम्नवत् कार्यवाही की गयी:-

① ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा जोशी जी द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को वनाग्नि के कारण वनाग्नि से होने वाली हानियाँ एवं प्रभावों तथा वनाग्नि की रोकथाम इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी

② वनाग्नि रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रस्ताव पारित।

③ ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीणों द्वारा खेतों में कूड़ा/आग जलाने से रोकने हेतु जागरूकता के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रस्ताव पारित

④ क्षेत्रान्तर्गत जानबूझकर वनों में आग लगाने या कूड़ा जलाने वाले दोषियों पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं कार्यवाही करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।

ग्राम विकास अधिकारी

एजेन्डा/सूचना पंजिका

दिनांक 2/05/2024

ग्रा०पं० [illegible] वि०ख० रामगढ़ जनपद नैनीताल

हस्ताक्षर	
[signatures]	अधिकारी जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के निर्देश एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या – 30/7 – पं० / [illegible] / 2024-25 दिनांक 27/4/2024 के क्रम में ग्राम पंचायत [illegible] की ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा [illegible] जी की अध्यक्षता में वनाग्नि की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं प्रभावी कदम उठाने हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया बैठक में निम्नवत् कार्यवाही की गयी →
जीवन्ती	
कविता [illegible]	① ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा [illegible] जी द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को वनाग्नि के कारण वनाग्नि से होने वाली हानियों एवं प्रभावों तथा वनाग्नि की रोकथाम इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी
[illegible]	
गीता रौतेला	② वनाग्नि रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रस्ताव पारित।
नारी	③ ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीणों द्वारा खुले में कूड़ा आग जलाने से रोकने हेतु जागरूकता के प्रचार - प्रसार करने हेतु प्रस्ताव पारित।
दीपा	
रजनी	④ क्षेत्रान्तर्गत जानबूझकर वनों में आग लगाने या कूड़ा जलाने वाले दोषियों पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं कार्यवाही करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
हेमा	
रेखा	
[illegible]	⑤ बैठक के अन्त में ग्रामीणों द्वारा खुले में कूड़ा इत्यादि न जलाने एवं वनों को अग्नि से बचाने हेतु संकल्प लेते हुए सभा का समापन किया गया।

[signature] 2024
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड - रामगढ़ (नैनीताल)

ग्राम विकास अधिकारी

[signature]
2/05/2024

कार्यवाही विवरण - आम बैठक

ग्रा०पं० चोपड़ा

वि०ख० भीमताल

दिनांक 29.04.2024

जनपद नैनीताल

नाम	प्र०सं०	कार्यवाही	हस्ताक्षर
[signature]		आज दिनांक 29.04.2024 को	
		ग्रामसभा - चोपड़ा वि०ख० - भीमताल	[signature]
		की वनाग्नि रोकथाम हेतु विशेष	[signature]
		बैठक का आयोजन प्रातः 11:00 बजे	दीपा बचल
		से पंचायत भवन चोपड़ा में ग्राम	[illegible] देवी
		प्रधान श्रीमती संगीता आर्या की	रेनू मेहरा
		अध्यक्षता में किया गया।	आशा देवी
		बैठक में ग्राम सभा में जाग-	मुन्नी देवी
		रूक किया गया कि वर्तमान में वन	प्रेमा जीना
		में लग रही अग्नि के विषय में	मीना कार्की
		चर्चा की गयी, वनों के बचाव हेतु	पुष्पा गिरी
		वनाग्नि को रोकने हेतु ग्रामवासियों	पार्वती देवी
		को जागरूक किया गया और साथ	हेमा गिरी
		ही यह भी बताया गया कि हम	चम्पा चमियाल
		हे आस पास भी किसी प्रकार की	जानकी बिष्ट
		ऐसी गतिविधि जैसे कूड़ा आदि	दीपा जीना
		नहीं जलाना है जो अग्नि प्रसार	प्रेमा जीना
		जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे।	हेमानी जीना
			चन्द्रा देवी
			देवकी देवी
			आशा जीना
			[illegible]

विशेष बैठक - सल्यूटी
विकासखण्ड - भीमताल

30.04.2024

आज दिनांक 30.04.2024 को ग्रामसभा सल्यूटी विकासखण्ड - भीमताल में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन अपराह्न 1:00 बजे से ग्राम प्रधान रजनी रावत जी की अध्यक्षता में प्रा० पाठशाला सल्यूटी में किया गया।

बैठक में वनाग्नि रोकथाम तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु चर्चा की गयी।

वनों को आग से बचाव हेतु जानकारी दी गयी तथा ग्राम वासियों को इसके प्रति जागरूक किया गया वनाग्नि से होने वाले नुकसान के विषय में लोगों को बताया गया।

स्कूल में कूड़ा न जलाने हेतु ग्राम वासियों को बताया गया, स्कूल के कूड़ा जलाने पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है अतः स्कूल में कूड़ा नहीं जलाया जाय, कूड़ा जलाने व वनों में आग लगाने वाले पर केस दर्ज किया जायेगा तथा वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

अंत में ग्राम प्रधान जी द्वारा स्कूल में कूड़ा न जलाने व वनों को आग से बचाने की अपील की गयी तथा इस बैठक का समापन किया गया।

प्रधान
ग्राम पंचायत – सल्यूटी
वि०ख० भीमताल (नैनीताल)

नीलम
निर्मला बोहरा
कमला
दीपा रावत
हेमा
सुनीता
हंसी
[illegible]
P.R.P.
Nirmal
Ramprasad Singh

7-05-2024

चिलकिया - ग्राम पंचायत रामनगर

[illegible] Singh

ग्राम प्रधान
हेमा बिष्ट

पु. कमलेश
(9756488008)

दिनांक 07-05-24 को नोडल अधिकारी चिलकिया रविन्द्र कुमार जी द्वारा एक बैठक आयोजित आयोजित की गई वनाग्नि के दृष्टिगत चिलकिया पंचायत घर में विभिन्न अधिकारियों द्वारा बैठक में अपने विचार रखे गये।

वर्तमान में हो रही वनाग्नि को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण व ग्राम प्रधानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ग्रामप्रधान हेमा बिष्ट, ढिकुली [illegible] [illegible], उदयपुरी चोपड़ा, वहाँ के ग्रामीणों को बताया गया कि जंगल में कूड़े में आग लगाए अगर कोई कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन अधिनियम / आपदा प्रबंधन अधि. के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त बैठक जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आयोजित की गई। उपप्रधान श्री कमल सिंह द्वारा भी बैठक को सम्बोधित किया गया। उदयपुरी चोपड़ा के प्रधान पुरुषोत्तम सिंह द्वारा भी बैठक को सम्बोधित किया गया।

[illegible]

दीपक आर्य

राजस्व विभाग

9997390311

2. [illegible]
[illegible] [illegible]

3. [illegible]
9012019657 [illegible]
A.E. [illegible]

4. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible])
[illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible]
D.D.M. [illegible]

5. [illegible]
[illegible]
[illegible]
सीताराम
[illegible] (सुखविंदरसिंह)
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ग्रामपंचायत – अगराड़ी
वि. ख. राजनगर

दिनांक 14-05-2024 को ग्रामपंचायत अगराड़ी में वनाग्नि रोकथाम हेतु एक बैठक का आयोजन अगराड़ी में किया गया जिसमें ख० रे० श्री आर०बी०ध्यानी रा०उ०नि० विनोद पाण्डे, अनिल कुमार चौहान वन दरोगा, जगदीश पाण्डे, वन दरोगा, घनश्याम पाण्डे, वन दरोगा, जीवन सिंह, वन बीट अधिकारी, मनोज कुमार लोधिपाल, वन बीट अधि०, नवीन भट्ट, वन बीट अधिकारी, पुष्पा वन बीट अधिकारी ग्राम प्रधान अगराड़ी – सोनवाल जी द्वारा नोडल रमेश चन्द्र भट्ट जी खण्ड विकास अधिकारी जयहरीखाल जी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। जिसमें जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में नोडल अधिकारी द्वारा खुले में कूड़ा न जलाने व साथ खेत में खेतों में खरपतवार इत्यादि को जला कर न छोड़ने आदि के बारे में बताया गया व वनाग्नि की घटना होने की स्थिति में टोलफ्री No. 1077 18008909715, 231178-79 पर कॉल कर स्थिति के बारे में अवगत करा सकते हैं। कूड़ा, खेत में खेत में आग लगाने की स्थिति में वन अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(1) रमेश चन्द्र भट्ट जी खण्ड विकास अधिकारी – जयहरीखाल [signature]
(2) रमेश चन्द्र भट्ट BDO Kirkhy [signature]
(3) विनोद पाण्डे RSI Angadi [signature]
(4) जगदीश चन्द्र पाण्डे FGO [signature]

(5) नवीन...
(6) ...
(7) निर्दिष्ट...
(8) ...
(9) मनोज...
(10) श्री ...
(11) ...
(12) ...
(13) ...
(14) ...
(15) ...

(5) नवीन चन्द्र भट्ट क० वी० अ० — [signature]
(6) चन्द्रवल्लभ काण्डे वनरक्षक — [signature]
(7) गिरीश चन्द्र तिवारी ग्राम विकास अ० — [signature]
(8) कु० सुषमा वं०वी० अ० — [signature]
(9) मनोज कुमार लोहियाल (व०वी०क०) — [signature]
(10) श्री धन सिंह (अर्दली) — [signature]
(11) " राजू शाह (फो० डी) — [signature]
(12) " यशपाल सिंह मेहता (फा०का) — यशपाल सिंह मेहरा
(13) " अनिल कुमार चौहान (वन दरोगा) — [signature]
(14) " यशवन्त सिंह (व०वी०क०) — [signature]
(15) " श्री ... — [signature]

[signature]
नवीन चन्द्र
मास्टर ट्रेनर (के० एस० एल०)
जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी
नैनीताल।
[illegible] 28

पंचायत
हल्द
किया
स्थानी
र चौहान
ायवल्लभ
ाधिकारी,
नवीन
(अधिकारी
द्वारा
अधिकारी
हल्द
ी महोदया
द्वारा
में देवी
न छोड़ने
न की
-1077
वारे में
क्षेत्र
अधिनियम
गत

वनाग्नि नियंत्रण प्रशिक्षण
ग्राम पंचायत अमगढ़ी
Date: 14/05/24.

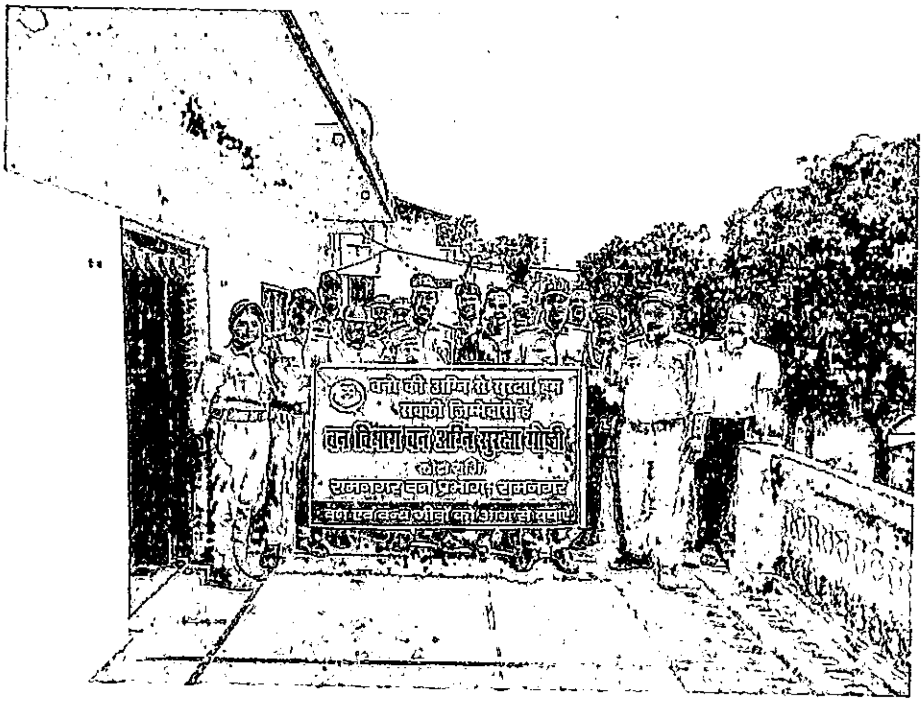

न्यायपंचायत - सांगुडी गाँव

9-05-24

दिनांक-09-05-24 को सांगुडी गाँव न्यायपंचायत में वनाग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण हेतु एक बैठक (सूक्ष्म प्रशिक्षण) का कार्यक्रम रा०इ०नि० चौकी में रखवा गया जिसमें न्यायपंचायत सांगुड़ीगाँव QRT सदस्य रा०उ०नि० भुवन चन्द्र जोशी जी द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें वनाग्नि से स्वयं के बचाव व नियंत्रण के बारे में प्रमुखता से बताया गया जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मास्टर ट्रेनर (खोज एवं बचाव) द्वारा विस्तार पूर्वक वर्तमान में हो रही वनाग्नि घटनाओं का उल्लेख किया गया।

(हस्ताक्षर)
नवीन चन्द्र
मास्टर ट्रेनर (खो०ब०)
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
नैनीताल

(हस्ताक्षर) ...
कार्यालय
9690...

Date
Page

उपस्थित ग्रामीण व कर्मचारी

1- उमेश तिवारी
ग्राम - [illegible] [signature] 9/5/24

2. राजेन्द्र कुमार [illegible]
ग्राम- [illegible] [signature]

3- कंचन सिंह
ग्राम - [illegible] पो० - [illegible] [signature]

4 भुवन चन्द्र जोशी रा०उ० नि० [signature] 9.5.2024

5. [signature] Lalit mohan Joshi

[illegible]

[illegible] ग्राम [illegible]

[illegible] आपदा [illegible]

[illegible] आपदा [illegible] किया गया जिसमें ग्राम

[illegible] पी०पी०ई० [illegible]

[illegible] किया गया जिसमें

[illegible] बैठक का आयोजन [illegible] बाढ़

भूस्खलन, आपदा इत्यादि के विषय में बताया [illegible] से बचाव आदि के

[illegible] गया। [illegible]

को मै [illegible] मे बताया गया।

मास्टर ट्रेनर नवीन चन्द्र द्वारा विस्तार पूर्वक

वर्तमान में हो रही [illegible] की घटनाओं के बारे में

उल्लेख किया गया।

बी०डी०सी० सदस्य - अनीता प्रकाश

ग्राम प्रधान - पूरन चन्द्र भट्ट

रीता आर्या

दीपा जोशी

मुन्नी देवी

[illegible] देवी

[signature]

महेश चन्द्र

हरीश चन्द्र

[signature]

[illegible]

[signature]

कमल जोशी

Kamlesh [illegible]

[signature] 14/6/24

नवीन चन्द्र

मास्टर ट्रेनर (रे०क्र०स०)

जि०आपदा प्र० प्राधि०

वनाग्नि रोकथाम एवं इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 26.04.2024 की सायं 06:00 बजे कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में जनपद में चल रही वनाग्नि की रोकथाम एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण पाये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित वन प्रभागों, अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायत राज विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्री चन्द्र शेखर जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. श्री आर॰सी॰काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. श्री प्रकाश आर्या, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
4. श्री हिमांशु बांगरी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. श्री दिग्नाथ नायक, प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
6. श्री प्रकाश चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
7. डॉ॰ श्वेता भण्डारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
8. श्री गौरव कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हल्द्वानी।
9. श्री गोपाल गिरी, जिला विकास अधिकारी, नैनीताल।
10. श्री सुरेश प्रकाश बैनी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल।
11. श्री रविन्द्र बजेठा, डी.टी.ई., NRLM, नैनीताल।
12. श्री प्रेम सिंह ऐरी, ज्ये0उ0नि0, नैनीताल।
13. श्री मान सिंह, आर.एफ.सी.।

बैठक में चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरांत वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण पाये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए :–

1. वनाग्नि से अत्यधिक प्रभावित वन प्रभागों यथा नैनीताल वन प्रभाग, हल्द्वानी वन प्रभाग एवं रामनगर वन प्रभाग को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध 02–02 विभागीय वाहनों का तत्काल अधिग्रहण करते हुए उपलब्ध कराए जाएं। उक्त वाहन प्रत्येक दशा में मय वाहन चालक व ईंधन दिनांक 27.04.2024 की प्रातः 10:30 बजे तक सम्बन्धित प्रभागों को उपलब्ध करा दिए जाएं। वनाग्नि राहत व बचाव में लगे वाहनों के ईंधन की प्रतिपूर्ति राज्य आपदा मोचन निधि के Response and Relief मद से की जाएगी। सम्बन्धित वन प्रभाग उक्त मद में धनराशि की मांग का प्रस्ताव 02 दिवसों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. निर्देश दिए गए कि वन विभागों द्वारा वनाग्नि रोकथाम हेतु आवश्यक उपकरण आदि की मांग के सापेक्ष शासन से सुसंगत मद में धनराशि प्राप्त होने पर धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

(कार्यवाही–सम्बन्धित वन प्रभाग/नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी/उप जिलाधिकारी, नैनीताल/रामनगर/प्रभारी अधिकारी, दै॰आ॰, जिला कार्यालय, नैनीताल)

3. वनाग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अतिरिक्त मैनपावर की आवश्यकता के दृष्टिगत अत्यधिक प्रभावित वन प्रभागों यथा नैनीताल वन प्रभाग, हल्द्वानी वन प्रभाग एवं रामनगर वन प्रभाग को 50–50 पी॰आर॰डी॰ कार्मिक 01 माह हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला युवा कल्याण अधिकारी, नैनीताल उक्तानुसार पी॰आर॰डी॰ कार्मिकों को सम्बन्धित वन प्रभागों को 02 दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त पर होने वाले व्यय को जिला योजना मद से वहन किया जाएगा।
4. जिला युवा कल्याण अधिकारी, नैनीताल प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से गठित किये गये महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल के अध्यक्षों को निर्देशित कर दें कि वे अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत वन प्रभाग के सम्बन्धित रेंज अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए वनाग्नि नियंत्रण हेतु यथाआवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त गठित दलों की सूची/विवरण आपदा प्रवन्धन विभाग के माध्यम से समस्त वन प्रभागों को उपलब्ध करा दी जाए ताकि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित वन प्रभाग स्वयं भी इन दलों से सम्पर्क स्थापित करते हुए आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सके।

(कार्यवाही–सम्बन्धित वन प्रभाग/जिला युवा कल्याण अधिकारी, नैनीताल/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल/आपदा प्रबंधन अधिकारी, नैनीताल)

5. अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण, नैनीताल को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से वनाग्नि रोकथाम एवं बचाव हेतु वन विभाग को सहयोग प्रदान करने हेतु एक आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त मजिला मंगल दल, युवक मंगल दल एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्बन्धित ग्रामों के निकट स्थित मार्गों के संवेदनशील क्षेत्र आवंटित करते हुए स्वच्छता अभियंन चलाए जाएं। जिला विकास अधिकारी, नैनीताल समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–जिला विकास अधिकारी, नैनीताल/ए.पी.डी., डी.आर.डी.ए.,नैनीताल)

6. ग्राम विकास, ग्राम पंचायत राज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं अन्य ऐसे विभाग जिनके कार्मिक ग्राम स्तर/पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं, कि सूची/विवरण वन विभाग को उपलब्ध करा दें साथ ही एक आदेश निर्गत करें कि समस्त ग्राम स्तरीय कार्मिक वनाग्नि नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु वन प्रभाग की अपेक्षानुसार तत्काल वांछित सहयोग प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धितविभाग, जनपद नैनीताल)

7. निर्देश दिए गए कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बूथ स्तर पर स्वीप टीम द्वारा वाट्सऐप ग्रुपों का गठन किया गया है। वनाग्नि नियंत्रण/रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित जो भी Digital Content वन विभाग के पास उपलब्ध है उसे श्री सुरेश

अधिकारी, स्वीप कोआर्डिनेटर के माध्यम से बूथ स्तर पर गठित ग्रुपों में प्रसारित कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

(कार्यवाही–सम्बन्धित वन प्रभाग/स्वीप कोऑर्डिनेटर, नैनीताल)

8. जिला पचायत राज अधिकारी, नैनीताल को निर्देश दिए गए कि अगले 03 दिवसों के भीतर समस्त ग्राम पंचायतों की एक आपातकालीन ग्राम सभा बैठक आहूत की जाए जिसमें मात्र 01 एजेण्डा प्रस्तुत किया जाए कि माह मई व जून, 2024 में ग्राम सभा के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जलाया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। ऐसा पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियिम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त बैठक में खुले में कूड़ा जलाने/आग लगाने की सूचना वन विभाग को देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखते हुए उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी विषय को भी रखा जाए।

(कार्यवाही–सम्बन्धित वन प्रभाग/
जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल)

9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी समस्त राजकीय एवं निजी बस संचालको एवं टैक्सी यूनियिनों के माध्यम से निर्देश निर्गत कराएंगे कि इन वाहनों के वाहन चालक/परिचालक एवं वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान बीड़ी/सिगरेट आदि पीना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहे। किसी भी वाहन में उक्त की अवहेलना पाये जाने पर वाहन को सीज़ करने की कार्यवाही भी की जाए।

(कार्यवाही–सम्भागीय परिवहन अधिकारी नैनीताल)

10. अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध कम्प्रेशर उपकरण के माध्यम से सूखी पत्तियां/पीरूल आदि को मार्गों के किनारों से साफ कर वनागिन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। समस्त लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विभागीय कम्प्रेशरों के माध्यम से मार्गों के किनारों पर पड़े पीरूल/सूखी पत्तियों को हटाया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–वन प्रभाग/समस्त खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जनपद नैनीताल)

11. अवगत कराया गया कि वनाग्नि रोकथाम हेतु अपील, राजकीय वाहनों में जागरूकता संदेशों के फ्लैक्स एवं वायस संदेशों के नियमित प्रसारण से वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावित नियंत्रण किया जा सकता है। निर्देश दिए गए कि समस्त वन प्रभाग नियमित दैनिक समाचार–पत्रों में अपील के साथ–साथ शरारती तत्वों पर की जा रही वैधानिक कार्यवाही भी प्रकाशित कराएं तथा अपील का कन्टेन्ट आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(कार्यवाही–समस्त वन प्रभाग/आपदा प्रबंधन अधिकारी,
नैनीताल)

12. उक्त के अतिरिक्त वन पंचायतों को वन प्रभागों द्वारा विभिन्न मदों में बजट प्रदान किया जाता है। वन पंचायतों को वनाग्नि नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु वन प्रभागों द्वारा प्रभावी रूप से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही–समस्त वन प्रभागजनपद, नैनीताल)

अन्त में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं को अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किये जाने के निर्देशों के साथ बैठक सम्पन्न की गई।

ह0–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकाकारी, नैनीताल।

संख्या 1088/13–सी०आर०ए०(आ.प्र.प्राधि.)/2024–24 दिनांक 30 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद नैनीताल।
3. नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।
4. उप जिलाधिकारी, नैनीताल/रामनगर।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण/ अधिशासी अभियंता, जनपद नैनीताल।

प्रतिलिपि सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/24
अपर जिलाधिकारी(वि/रा),
नैनीताल।

आदेश

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र संख्या 1466/27–1 दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के द्वारा वर्ष 2024 वनाग्निकाल में वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन दल के त्वरित आवागमन, PoL व्यवस्था एवं वनाग्नि प्रशमन के लिये अग्निशमन दल हेतु अतिआवश्यक सामग्री जैसे–जूते, डांगरी/फायर रेडियम, जैकेट, फायर रैक, फायर बीटर, लीफ ब्लोवर आदि की व्यवस्था हेतु संबंधित वन प्रभागों के लिए निम्नानुसार धनराशि की मांग की गई है:–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	अग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल (है0 में)	Response and Relief मद अन्तर्गत धनराशि की मांग
01	हल्द्वानी वन प्रभाग	23.03	3.50
02	तराई पूर्वी वन प्रभाग	80.76	4.50
03	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	12.48	2.00
04	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	2.50	2.25
05	रामनगर वन प्रभाग	33.82	2.25
		योग	**14.50**

उक्त के अतिरिक्त उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर, नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 2753/27–7 दिनांक 27 अप्रैल, 2024 द्वारा दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 15.06.2024 तक वनाग्नि की रोकथाम हेतु किराये पर वाहन हेतु रू. 0.90 लाख तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 5830/3–1 दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के द्वारा वनाग्नि की रोकथाम हेतु वाहन तथा ईंधन हेतु रू. 21.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्तानुसार वन प्रभागों द्वारा किये गये अनुरोध पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान (Response and Relief) मद से निम्नानुसार धनराशि संबंधित वन प्रभागों को स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू. में)
1	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	3.50
2	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	4.50
3	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	2.00
4	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
5	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
6	उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।	0.90
7	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	21.00
	योग	**36.40**

उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी:–

1. उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I(Vol-II) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 एवं पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I दिनांक 11 जुलाई, 2023 के द्वारा निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला … को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा तथा दिनांक 31.03.2025 तक जिस … की जायेगी।

आदेश

शासनादेश संख्या 413/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 07 मई, 2024 द्वारा शासनादेश संख्या 371/XVIII-B-1/2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के माध्यम से समस्त जनपद के निवर्तन पर आवंटित धनराशि रू. 5.00 लाख की धनराशि को क्षमता विकास मद में स्थानान्तरित करते हुए वन विभाग की आवश्यकतानुसार उपकरण आदि खरीद हेतु व्यय/वन विभाग को क्षमता विकास मद से आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान (Response and Relief) मद से आगामी वनाग्नि सत्र हेतु वनाग्नि की रोकथाम एवं उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नानुसार वन प्रभागों को धनराशि आवंटित की जाती है–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू. में)
1	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
2	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
3	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	5.00
4	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
5	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
6	उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।	5.00
7	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	5.00
	योग	**35.00**

उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगीः–

1. उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I(Vol-II) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 एवं पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I दिनांक 11 जुलाई, 2023 के द्वारा निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा तथा दिनांक 31.03.2025 तक धनराशि व्यय न होने पर उक्त धनराशि जिला कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
3. आहरण व व्यय केवल उन्हीं आपदा संबंधी कार्यों के लिये किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों के मानकों के अनुरूप धनराशि इतर मदों में व्यय होने और उसका गलत उपयोग होने पर संबंधित विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।
4. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनाँकः 29 जून, 2024

ह0/–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 496 /13–सी.आर.ए./2024 दिनाँकः 1 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(फिंचा राम चौहान)

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 496/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 01 जुलाई, 2024 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को अग्रिम वनाग्नि सत्र में वनाग्नि रोकथाम एवं उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु रू० 5.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को उनके द्वारा की गई मांग के अनुरूप रू० 4.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

आदेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

दिनांक 05.07.2024

ह0/–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 527/13–सी.आर.ए./2024 दिनाँक: 9 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।

(फिंचा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा),
नैनीताल।